

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारी:—श्री सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:—49/2017 (2017/00140) वादपत्र

1. बालुराम पिता डालु कुमावत निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. मोहनलाल पिता डालु कुमावत निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. कस्तुरी पुत्री डालु कुमावत निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. मांगी पत्नि डालु कुमावत निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादीगण

बनाम

1. भैरूलाल पिता भागीरथ उर्फ भागु कुमावत निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा बजरिये शाखा प्रबन्धक
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा ।

प्रतीवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित

1. जाकिर हुसैन—
2. फारुख मोहम्मद —

अधिवक्ता वादीगण
अधिवक्ता प्रतिवादी

मुकदमा नम्बर:—50/2017 (2017/00142) वादपत्र

1. बालुराम पिता डालु कुमावत निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. मोहनलाल पिता डालु कुमावत निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. कस्तुरी पुत्री डालु कुमावत निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. मांगी पत्नि डालु कुमावत निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादीगण

बनाम

1. भैरूलाल पिता भागीरथ उर्फ भागु कुमावत निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. भवंरलाल पिता बालुराम कुमावत निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. गणीदेवी पत्नि नारायण कुमावत निवासी पाटियाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. तुलछीदेवी पत्नि माधुलाल कुमावत निवासी पाटियाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा बजरिये शाखा प्रबन्धक
6. शाखा प्रबन्धक ग्राम सेवा सहकारी समिति थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा ।

प्रतीवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित

1. जाकिर हुसैन —
2. फारुख मोहम्मद —

अधिवक्ता वादीगण
अधिवक्ता प्रतिवादी





मुकदमा नम्बर:-32/2018 (2018/00080) वादपत्र

1. बालुराम पिता डालु कुमावत निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. मोहनलाल पिता डालु कुमावत निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. कस्तुरी पुत्री डालु कुमावत निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. मांगी पत्नि डालु कुमावत निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादीगण

बनाम

1. भैरूलाल पिता भागीरथ उर्फ भागु कुमावत निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा ।

प्रतीवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित

1. जाकिर हुसैन -
2. फारूख मोहम्मद -

अधिवक्ता वादीगण
अधिवक्ता प्रतिवादी
दिनांक 16.12.2021

निर्णय

पत्रावलियां आज पेश हुईं। प्रकरणों का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि इस न्यायालय के पूर्व आदेश दिनांक 04.12.2019 के द्वारा प्रकरण संख्या 49/2017 में वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम थला पटवार हल्का थला तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 के संयुक्त खातेदारी कृषि आराजियात खाता संख्या 319 में अकिंत आराजी संख्या 312 रकबा 0.55 है., आराजी संख्या 313 रकबा 0.02 है., आराजी संख्या 314 रकबा 0.40 है., कुल किता 3 कुल रकबा 0.97 है0 भूमि में वादी संख्या 1 का 13/48 हिस्सा व वादी संख्या 2 लगायत 4 का संयुक्त रूप से 1/4 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 का 23/48 हिस्से का मौके पर कब्जे को ध्यान में रखते हुए बाई मीट्स एण्ड बोर्ड्स के आधार पर स्वंत्रत राजस्व खाता रेवेन्यु रेकार्ड में खोल जाने हेतु प्राथमिक डिक्री जारी की गई एवं तहसीलदार रायपुर से विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश करने का आदेश दिया गया था। इसी प्रकार प्रकरण संख्या 50/2017 में ग्राम थला पटवार हल्का थला तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 के संयुक्त खातेदारी कृषि आराजियात खाता संख्या 340 में अकिंत आराजी संख्या 324 रकबा 0.40 है., आराजी संख्या 325 रकबा 0.14 है., कुल किता 2 कुल रकबा 0.54 है0 भूमि में वादी संख्या 1 का 1/8 हिस्सा व वादी संख्या 2 लगायत 4 का संयुक्त रूप से 1/4 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 1 का 7/24 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 का 19/108 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 3 का 1/27 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 4 का 13/108 हिस्से का मौके पर कब्जे को ध्यान में रखते हुए बाई मीट्स एण्ड बोर्ड्स के आधार पर स्वंत्रत राजस्व खाता रेवेन्यु रेकार्ड में खोल जाने हेतु प्राथमिक डिक्री



जारी की गई एवं तहसीलदार रायपुर से विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश करने का आदेश दिया गया था तथा इसी प्रकार प्रकरण संख्या 32/2018 में ग्राम थला पटवार हल्का थला तहसील रायपुर के बैरुन हल्का आबादी में वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 के संयुक्त खातेदारी कृषि आराजियात खाता संख्या 393 में अकिंत आराजी संख्या 341 रकबा 0.41 है, आराजी संख्या 342 रकबा 0.35 है, कुल किता 2 कुल रकबा 0.76 है 0 भूमि में वादी संख्या 1 लगायत 4 का संयुक्त रूप से 1/2 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 1 का 1/2 हिस्से का मौके पर कब्जे को ध्यान में रखते हुए बाई मीट्स एण्ड बोर्ड्स के आधार पर स्वंत्रत राजस्व खाता रेवेन्यु रेकार्ड में खोल जाने हेतु प्राथमिक डिक्री जारी की गई एवं तहसीलदार रायपुर से विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश करने का आदेश दिया गया था।

विभाजन प्रस्ताव हेतु मौका निरीक्षण करने के बाद भूमिधारी तहसीलदार रायपुर द्वारा इस आशय की रिपोर्ट पेश की गई कि इन्ही पक्षकारों की संयुक्त खातेदारी का 1 शामलाती खाता संख्या 357 और है जिसमें अकिंत आराजी संख्या 320 रकबा 0.16 है, 321 रकबा 0.42 है, 322 रकबा 0.04 है 0 323 रकबा 0.74 है 0 कुल किता 4 कुल रकबा 1.36 है 0 भूमि दर्ज रेकार्ड है जो वाद में सम्मिलित नहीं की गई है इन खसरा नम्बरान को छोड़ते हुए विभाजन प्रस्ताव तैयार नहीं किया जा सकता इस बाबत उभयपक्ष अधिवक्ताओं से चर्चा की गई जिस पर अधिवक्ताओं द्वारा अवगत कराया कि उस खाते में अकिंत खसरा नम्बरान को सम्मिलित करते हुए विभाजन कर वाद डिक्री फरमाया जावे। वादीगण अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया कि मौका स्थिति एवं बाई मीट्स एण्ड बोर्ड्स को मध्यनजर रखते हुए निर्णय पारित किये जावे। जिस पर प्रकरण में शेष रहे खाते में अकिंत आराजियात खसरा संख्या 320, 321, 322, 323 के मौका स्थिति की रिपोर्ट प्रकरणों के निस्तारण हेतु ली गई। प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया कि विचाराधीन तीनों प्रकरणों में अलग अलग निर्णय पारित नहीं कर कब्जे व मौका स्थिति को ध्यान में रखते हुए विभाजन कराया जावे इसी के समर्थन में 2012 (2) सिविल टाईम्स (सुप्रीम कोर्ट) पेज 385 का दृष्टान्त प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया।

मैने पत्रावलियों का अवलोकन किया विचाराधीन प्रकरणों में दर्ज आराजियात के अलावा पक्षकारान के नाम 1 खाता और संयुक्त रूप से दर्ज रेकार्ड है जो पक्षकारान के मध्य मूल रूप से 1 ही संयुक्त खाता था जिसमें अलग अलग भाईयो के द्वारा विक्रय करने से नये खाते कायम हुए हैं सभी पक्षकारान के नाम जो संयुक्त भूमि दर्ज रेकार्ड है उन खसरा नम्बरान को शामिल करते हुए विभाजन हेतु भूमिधारी तहसीलदार रायपुर द्वारा भी निवेदन करते हुए रिपोर्ट पेश की गई, जिस पर तहसीलदार रायपुर को विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु लिखा गया तहसीलदार रायपुर से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुआ जो शामिल पत्रावली किया गया। प्राप्त विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन उभयपक्ष अधिवक्ताओं को कराया गया।



प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा भी विचाराधीन प्रकरणों में अलग अलग निर्णय पारित नहीं कर सभी का समावेश करते हुए एक ही निर्णय पारित किया जाने हेतु निवेदन किया एवं भूमिधारी तहसीलदार रायपुर द्वारा भी विचाराधीन प्रकरणों में इन्ही पक्षकारों की संयुक्त खातेदारी के खसरा नम्बर 320, 321, 322, 323 को वाद में शामिल करते हुए विभाजन हेतु लिखा गया भूमिधारी तहसीलदार रायपुर की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद खसरा नम्बर 320, 321, 322, 323 को वाद में शामिल कर मौका स्थिति को मध्यनजर रखते हुए विचाराधीन प्रकरणों में निर्णय पारित करना न्यायालय न्याय हित में उचित मानता है। ऐसी स्थिति में उपरोक्त विवरण अनुसार प्राथमिक डिक्री की पालना में एवं भूमिधारी तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट एवं विभाजन प्रस्ताव अनुसार कब्जे एवं हिस्से को ध्यान में रखते हुए तथा माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित निर्णय सिविल टाईम्स 2012 (2) पेज 385 के अनुसार भी प्रकरणों का निस्तारण एक ही साथ संयुक्त रूप से किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत विचाराधीन प्रकरणों के वाद एवं तहसीलदार रायपुर द्वारा अवशेष नम्बरान बाबत रिपोर्ट को स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री वादीगण के पक्ष में विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम थला तहसील रायपुर के बैरुन हल्का आबादी में खाता संख्या 339 में दर्ज आराजियात में से प्रस्तावित आराजी संख्या 312/2 रकबा 0.20 है० पूर्वी भाग, आराजी संख्या 314/1 रकबा 0.24 है० कुल किता 2 कुल रकबा 0.44 है० भूमि व खाता संख्या 358 में दर्ज आराजियात में से प्रस्तावित आराजी संख्या 324/2 रकबा 0.10 है० मध्य भाग, आराजी संख्या 325/1 रकबा 0.04 है० उत्तरी भाग कुल किता 2 कुल रकबा 0.14 है० भूमि एवं खाता संख्या 416 में दर्ज आराजियात में से प्रस्तावित आराजी संख्या 342 रकबा 0.35 है० भूमि एवं खाता संख्या 357 में दर्ज आराजियात में से प्रस्तावित आराजी संख्या 320 रकबा 0.16 है० सम्पूर्ण, आराजी संख्या 321/2 रकबा 0.17 है० दक्षिणी भाग, आराजी संख्या 323/2 रकबा 0.19 है० मध्य भाग कुल किता 3 कुल रकबा 0.52 है० भूमि इस प्रकार कुल किता 8 कुल रकबा 1.45 है० भूमि बालुराम पुत्र डालु 51/144, मोहनलाल पुत्र डालु 31/144, कस्तुरी पुत्री डालु 31/144, मांगी पत्नि डालु 31/144 कुमावत सा. देह खातेदार के नाम तथा खाता संख्या 339 में दर्ज आराजियात में से प्रस्तावित आराजी संख्या 312/1 रकबा 0.35 है० पश्चिमी भाग सड़क के पास, आराजी संख्या 314/3 रकबा 0.05 है० कुल किता 2 कुल रकबा 0.40 है० भूमि एवं खाता संख्या 358 में दर्ज आराजियात में से प्रस्तावित आराजी संख्या 324/1 रकबा 0.10 है० भूमि उत्तरी भाग सड़क के पास एवं खाता संख्या 416 में दर्ज आराजियात में से प्रस्तावित आराजी संख्या 341 रकबा 0.41 है० भूमि सम्पूर्ण एवं खाता संख्या 357 में दर्ज आराजियात में से प्रस्तावित आराजी संख्या 321/1 रकबा 0.25 है० भूमि उत्तरी भाग, आराजी संख्या 323/1 रकबा 0.23 है० उत्तरी

मुकदमा नम्बर:-49/2017 (2017/00140) वादपत्र
मुकदमा नम्बर:-50/2017 (2017/00142) वादपत्र
मुकदमा नम्बर:-32/2018 (2018/00080) वादपत्र

05

भाग कुल किता 2 कुल रकबा 0.48 है0 भूमि इस प्रकार कुल किता 6 कुल रकबा 1.39 है0 भूमि भैरूलाल पुत्र भागीरथ कुमावत सा.देह खातेदार के नाम तथा खाता संख्या 358 में दर्ज आराजियात में से प्रस्तावित आराजी संख्या 324/2 रकबा 0.03 है0 भूमि आराजी संख्या 325 के मध्य भाग से लगती हुई, आराजी संख्या 325/2 रकबा 0.0550 है0 सड़क से लगता हुआ मध्य भाग कुल किता 2 कुल रकबा 0.0850 है0 भूमि तुलछीदेवी पत्नि माधु 4/17, गणी पत्नि नारायण 13/17 कुमावत सा. पाटियाखेड़ा खातेदार के नाम एवं खाता संख्या 358 में दर्ज आराजियात में से प्रस्तावित आराजी संख्या 324/4 रकबा 0.17 है0 दक्षिणी एवं पूर्वी भाग, आराजी संख्या 325/3 रकबा 0.0450 है0 भूमि दक्षिणी भाग, कुल किता 2 कुल रकबा 0.2150 है0 व खाता संख्या 357 में दर्ज आराजियात में से प्रस्तावित आराजी संख्या 323/3 रकबा 0.32 है0 भूमि दक्षिणी भाग इस प्रकार कुल किता 3 कुल रकबा 0.5350 है0 भूमि भंवरलाल पुत्र बालुराम कुमावत सा. देह खातेदार के नाम दर्ज की जावे तथा खाता संख्या 339 में दर्ज आराजियात में से प्रस्तावित आराजी संख्या 313 रकबा 0.02 है0, आराजी संख्या 314/2 रकबा 0.02 है0 रास्ता हेतु, आराजी संख्या 314/4 रकबा 0.09 है भूमि पूर्वी भाग कुल किता 3 कुल रकबा 0.13 है0 व खाता संख्या 357 में दर्ज आराजियात में से प्रस्तावित आराजी संख्या 322 रकबा 0.04 है0 भूमि इस प्रकार कुल किता 4 कुल रकबा 0.17 है0 भूमि शामलाती बदस्तुर रखते हुए रेकार्ड कायम कर राजस्व नक्शे में तरमीम की जावे। इसी अनुसार डिक्री जारी हो। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 16.12.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



Ans
16.12.2021
(सुन्दरलाल बम्बोडा)
सहायक क्लर्क (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

मूल वाद मे अन्तिम डिक्री
(आदेश 20 रूल्स 6-7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारी:—श्री सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:—49/2017 (2017/00140) वादपत्र

1. बालुराम पिता डालु कुमावत निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. मोहनलाल पिता डालु कुमावत निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. कस्तुरी पुत्री डालु कुमावत निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. मांगी पत्नि डालु कुमावत निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादीगण

बनाम

1. भैरूलाल पिता भागीरथ उर्फ भागु कुमावत निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा बजरिये शाखा प्रबन्धक
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा ।

प्रतीवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा नम्बर:—50/2017 (2017/00142) वादपत्र

1. बालुराम पिता डालु कुमावत निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. मोहनलाल पिता डालु कुमावत निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. कस्तुरी पुत्री डालु कुमावत निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. मांगी पत्नि डालु कुमावत निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादीगण

बनाम

1. भैरूलाल पिता भागीरथ उर्फ भागु कुमावत निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. भवंरलाल पिता बालुराम कुमावत निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. गणीदेवी पत्नि नारायण कुमावत निवासी पाटियाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. तुलछीदेवी पत्नि माधुलाल कुमावत निवासी पाटियाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा बजरिये शाखा प्रबन्धक
6. शाखा प्रबन्धक ग्राम सेवा सहकारी समिति थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा ।

प्रतीवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा नम्बर:—32/2018 (2018/00080) वादपत्र

1. बालुराम पिता डालु कुमावत निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. मोहनलाल पिता डालु कुमावत निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. कस्तुरी पुत्री डालु कुमावत निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. मांगी पत्नि डालु कुमावत निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादीगण

बनाम

1. भैरूलाल पिता भागीरथ उर्फ भागु कुमावत निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा



मुकदमा नम्बर:-49/2017 (2017/00140) वादपत्र

मुकदमा नम्बर:-50/2017 (2017/00142) वादपत्र

मुकदमा नम्बर:-32/2018 (2018/00080) वादपत्र

वाद पत्र अंतर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह मुकदमा वास्तु इन फिसान कतई रूबरू हमारे बहाजरी वादीगण द्वारा प्रस्तुत विचाराधीन प्रकरणों के वाद एवं तहसीलदार रायपुर द्वारा अवशेष नम्बरान बाबत रिपोर्ट को स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री वादीगण के पक्ष में विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम थला तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में खाता संख्या 339 में दर्ज आराजियात में से प्रस्तावित आराजी संख्या 312/2 रकबा 0.20 है0 पूर्वी भाग, आराजी संख्या 314/1 रकबा 0.24 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.44 है0 भूमि व खाता संख्या 358 में दर्ज आराजियात में से प्रस्तावित आराजी संख्या 324/2 रकबा 0.10 है0 मध्य भाग, आराजी संख्या 325/1 रकबा 0.04 है0 उत्तरी भाग कुल किता 2 कुल रकबा 0.14 है0 भूमि एवं खाता संख्या 416 में दर्ज आराजियात में से प्रस्तावित आराजी संख्या 342 रकबा 0.35 है0 भूमि एवं खाता संख्या 357 में दर्ज आराजियात में से प्रस्तावित आराजी संख्या 320 रकबा 0.16 है0 सम्पूर्ण, आराजी संख्या 321/2 रकबा 0.17 है0 दक्षिणी भाग, आराजी संख्या 323/2 रकबा 0.19 है0 मध्य भाग कुल किता 3 कुल रकबा 0.52 है0 भूमि इस प्रकार कुल किता 8 कुल रकबा 1.45 है0 भूमि बालुराम पुत्र डालु 51/144, मोहनलाल पुत्र डालु 31/144, कस्तुरी पुत्री डालु 31/144, मांगी पत्नि डालु 31/144 कुमावत सा. देह खातेदार के नाम तथा खाता संख्या 339 में दर्ज आराजियात में से प्रस्तावित आराजी संख्या 312/1 रकबा 0.35 है0 पश्चिमी भाग सड़क के पास, आराजी संख्या 314/3 रकबा 0.05 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.40 है0 भूमि एवं खाता संख्या 358 में दर्ज आराजियात में से प्रस्तावित आराजी संख्या 324/1 रकबा 0.10 है0 भूमि उत्तरी भाग सड़क के पास एवं खाता संख्या 416 में दर्ज आराजियात में से प्रस्तावित आराजी संख्या 341 रकबा 0.41 है0 भूमि सम्पूर्ण एवं खाता संख्या 357 में दर्ज आराजियात में से प्रस्तावित आराजी संख्या 321/1 रकबा 0.25 है0 भूमि उत्तरी भाग, आराजी संख्या 323/1 रकबा 0.23 है0 उत्तरी भाग कुल किता 2 कुल रकबा 0.48 है0 भूमि इस प्रकार कुल किता 6 कुल रकबा 1.39 है0 भूमि भैरूलाल पुत्र भागीरथ कुमावत सा.देह खातेदार के नाम तथा खाता संख्या 358 में दर्ज आराजियात में से प्रस्तावित आराजी संख्या 324/2 रकबा 0.03 है0 भूमि आराजी संख्या 325 के मध्य भाग से लगती हुई, आराजी संख्या 325/2 रकबा 0.0550 है0 सड़क से लगता हुआ मध्य भाग कुल किता 2 कुल रकबा 0.0850 है0 भूमि तुलछीदेवी पत्नि माधु 13/17, गणी पत्नि नारायण कुमावत 4/17 सा. पाटियाखेड़ा खातेदार के नाम एवं खाता संख्या 358 में दर्ज आराजियात में से प्रस्तावित आराजी संख्या 324/4 रकबा 0.17 है0 दक्षिणी एवं पूर्वी भाग, आराजी संख्या 325/3 रकबा 0.0450 है0 भूमि दक्षिणी भाग, कुल किता 2 कुल रकबा 0.2150 है0 व खाता संख्या 357 में दर्ज आराजियात में से प्रस्तावित आराजी संख्या 323/3 रकबा 0.32 है0 भूमि दक्षिणी भाग इस प्रकार कुल किता 3 कुल रकबा 0.5350 है0 भूमि भंवरलाल पुत्र बालुराम कुमावत सा. देह खातेदार के नाम दर्ज की जावे तथा खाता संख्या 339 में दर्ज आराजियात में से प्रस्तावित आराजी संख्या 313 रकबा 0.02 है0, आराजी संख्या 314/2 रकबा 0.02 है0 रास्ता हेतु, आराजी संख्या 314/4 रकबा 0.09 है भूमि पूर्वी भाग कुल किता 3 कुल रकबा 0.13 है0 व खाता संख्या 357 में दर्ज आराजियात में से प्रस्तावित आराजी संख्या 322 रकबा 0.04 है0 भूमि इस प्रकार कुल किता 4 कुल रकबा 0.17 है0 भूमि शामलाती बदस्तुर रखते हुए रेकार्ड कायम कर राजस्व नक्शे में तरमीम की जावे।

वाद में डिक्री आज दिनांक 16.12.2021 को न्यायालय मोहर एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई।



(सुन्दरलाल बम्बोडा)
सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर, जिला भीलवाड़